न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0 168/2021

—:आदेश:—

30/9/22 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के द्वारा अपने पत्रांक— 1201 , दिनांक —16.09.2022 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. काला चन्द हाजरा, 2. सुदर्शन हाजरा, दोनो पिता— स्व0 गम्भीर हाजरा, साकिम— पण्डुकी, थाना— बरवाअड्डा, गोविन्दपुर, जिला— धनबाद अपनी जमीन मौजा— पण्डुकी, मौजा नं0—90, पुराना खाता सं0— 80, पुराना प्लॉट नं0— 844, नया खाता नं0— 129, नया प्लॉट नं0— 1197, रकवा— 03 डिसमील, नया प्लॉट सं0— 1196, रकवा— 03 डिसमील, कुल रकवा— 06 डी0 भूमि क्रेता अजय कुमार हाजरा, पिता— अवध किशोर हाजरा, साकिम— पण्डुकी, थाना— बरवाअड्डा, जिला— धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के दुसाध है तथा दोनो एक ही थाना— बरवाअड्डा, जिला— धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 3.04 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 12:09:18 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner